

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी

(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट) कैम्प :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पालना

प्रशासन गांवों के संग
 अभियान-2021

-: आदेश :-

प्र०सं० :- 935/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का पालना, भू अ०नि० वृत्त भोपाल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा भोपाल तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्बन्ध 2016 के खाता संख्या 100 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>भोपाल</u>	<u>100</u>	<u>मिठलाल पुज देवा ब्राह्मण</u>	<u>मिठलाल पुज देवा ब्राह्मण</u>

A
 सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 राशमी

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(935)2021 दिनांक :- 11/12/21
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मिठलाल पुज देवा ब्राह्मण को सूचनार्थ।

A
 सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 राशमी

